न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रुयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 82/2023

1. अनिल कुमार पुत्र ताराचन्द जाति मेघवाल निवासी ढंढार तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
2. मंगला राम पुत्र हरदेवाराम जाति मेघवाल निवासी घरडू तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

– वादी

बनाम

1. मेघराज पुत्र नारूराम जाति नायक निवासी सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज0।
2. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

–प्रतिवादी

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 22.09.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) भूमि खेत ख0न0 679 रकबा 2.76 है0 स्थित ग्राम सूरजगढ़ का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाई बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग–अलग दर्ज किया जाना फरमाया जावे तथा वादीगण को विभाजन में प्राप्त हिस्से पर वादीगण का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान भी अलग–अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादिगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें, अविभाजित सम्पति को विक्रय या रहन नहीं करें।

(ग) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) यह कि अन्य सिद्धी जो बहक वादीगण हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई हो वह भी धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फायदा दिया जाकर दिलवाया जाना फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री राकेश वर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया वकील वादी ने प्राथमिक डिकी हेतु निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 2 न तो स्वयं हाजीर आये न ही कोई अधिवक्ता आया। वकिल वादी ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया । वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिकी किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी संख्या 2 न तो स्वयं हाजीर आये न ही कोई अधिवक्ता आया अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ग्राम सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ की सरहाद में कृषि भूमि ख0न0 679 रकबा 2.76 है0 में तहसीलदार सूरजगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2023/1360 दिनांक 21.09.2023 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर
सूरजगढ़